[19/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3194]

—: परिशिष्ट "अ" :—

हाँ, पन्ना नगर से निकलने वाली किलकिला नदी में शहर के 08 नालों का पानी आकर मिलता है। उक्त नदी में नालों का गन्दा पानी जाने से रोकने हेतु लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट अंतर्गत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसकी डी.पी. आर. राशि रू. 19.83 करोड की तैयार कराई जाकर पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 27.06.2024 से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 भोपाल से स्वीकृति हेतु भेजे जाने की अनुंशसा की गई है, जिसके अनुसार निकाय के द्वारा शासन के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

—: परिशिष्ट "ब" :—

वर्तमान में नगर पालिका परिषद पन्ना से निकलने वाले कचरे को अजयगढ़ बाई पास पर स्थित कचरा प्रसंस्करण केन्द्र में प्रसंस्क्रण एवं निपटान हेतु भेजा जा रहा है, उक्त स्थल शहर से निकलने वाले कचरे की मात्रा के दृष्टिगत पर्याप्त न होने के कारण कलेक्टर पन्ना से पूर्व में कचरा प्रसंस्करण केन्द्र हेतु ग्राम पन्ना की शासकीय आराजी क्र.78/1 में से 05 हेक्टेयर भूमि,तदउपरांत ग्राम पन्ना की 91/1/1 में से 6.4 हेक्टेयर भूमि, तदउपरांत ग्राम पन्ना की 2104/1 में से 02 हेक्टेयर एवं तदउपरांत 1/1 ग्राम पटी बजरिया की भूमि में से 6.7 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। किन्तु उक्त भूमियॉ वन भूमि में पाई जाने से भूमि आवंटन की कार्यवाही नही हो सकी। वर्तमान में नवीन बडा कचरा प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु भूमि आवंटन के लिये नवीन भूमि के चिन्हाकन की प्रक्रिया की जा रही है। चिन्हाकन पश्चात श्रीमान् कलेक्टर महोदय से भूमि की मॉग हेतु आवेदन किया जायेगा एवं भूमि प्राप्त होने के उपरांत रीसाईकिलिंग प्लांट का निर्माण कराकर शहर से निकलने वाले कचरे का सुव्यवस्थित निपटान कराया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

—: परिशिष्ट ''स'' :—

पन्ना नगर स्थित श्री जुगल किशोर मंदिर जन–जन की आस्था का केन्द्र है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण अक्सर मंदिर के आसपास के इलाके में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नही होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है अतः यातायात को सुगम बनाने हेतु मंदिर के पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था के लिये मंदिर के बगल में स्थित पुरानी जीर्णशीर्ण धर्मशाला को हटाकर सार्वजनिक वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु परिषद के संकल्प क्र. 02 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मंदिर के समीप पुराना राम लीला मंच एवं धर्मशाला धर्मस्व शाखा कलेक्ट्रेट के स्वामित्व में है। अतः कलेक्टर पन्ना से कार्यालय नगर पालिका परिषद पन्ना के पत्र क्रमांक.1354/न.पा.परिषद/पन्ना दिनांक 13.04.2023 द्वारा पुराने रामलीला मंच एवं पुरानी धर्मशाला की भूमि को आवंटित किये जाने की मॉग की गई थी। जिसके तारतम्य में कार्यालय कलेक्टर (धर्मस्व) पन्ना जिला पन्ना के आदेश पृ. क्रमांक.140/धर्मस्व/2024 पन्ना दिनांक 02.07.2024 के द्वारा ग्राम पन्ना की आराजी नं. 2071/1 रकवा 6.740 हेक्टेयर मध्य प्रदेश शासन आबादी के अंश भाग रकवा 0.0277 हेक्टेयर भूमि पर सर्व सुविधा युक्त पार्किंग स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के पालन में नगर पालिका पन्ना द्वारा सर्व सुविधा युक्त पार्किंग स्थल निर्माण कार्य की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल